

-: यात्री मासिक पास :-

यह सुविधा वर्तमान में बन्द है।

यात्री हेल्पलाइन (Passenger Helpline)

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------------|
| मुख्य प्रबन्धक | सांगानेर आगार | 7726010942 |
| नियन्त्रण कक्ष | | 7340013116 |
| मुख्य प्रबन्धक | ठोड़ी आगार | 7726010935 |
| नियन्त्रण कक्ष | | 7726010943 |
| मुख्य प्रबन्धक | विद्याधर नगर आगार | 7726010941 |
| नियन्त्रण कक्ष | | 0141-2233509 7726010936 |

नोट:-

- यात्री बसों में निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करने के लिए अधिकृत है। बिना टिकट पाये जाने पर ₹ 100/- मौके पर जुर्माना वसूलने एवं सजा का प्रावधान है।
- यात्रियों से निवेदन है कि कृपया खुल्ले पैसे रखें।

जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपकरण)



रजिस्ट्रेशन दस्तावेज तल, पुण्यना महिला हॉस्टल, बेहलू पैलेस के पीछे, लाल कोटी, टोकारोड, जयपुर-302015
फोन नं. 0141-2744562, 2744776; फैक्स नं. 0141-2744562;
Website:-transport.rajasthan.gov.in/jtsi; Email:- jtsi.bus@gmail.com

GST No.- 08AABCJ9735H1ZA

क्रमांक: प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2018-19/डी- 1171

दिनांक 13 - 07 -- 2018

कार्यालय-आदेश

मानवीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-2019 के बजट भाषण की धोषणा के बिन्दु संख्या 26 की अनुपालना में जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड की जयपुर में संचालित सभी श्रेणियों की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों (महिला/पुरुष) को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक सहयोगी (महिला/पुरुष) को यात्री किराये में 50 प्रतिशत रियायत दर पर यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है।

जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड के सभी परिचालक/बस सारथी इन वृद्धजन के अधिमान्य पहचान पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा की अनुमति देंगे व सहयोगी यात्री को रियायती दर (50 प्रतिशत) पर टिकिट जारी कर यात्रा सुविधा प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रबन्ध निदेशक
जेसीटीएसएल, जयपुर

क्रमांक: प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2018-19/डी- 1171 दिनांक 13 - 07 -- 2018

प्रतिलिपि:- विभन्न को सूचनार्थ एवं अंगचश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ बागरिक बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. विजी सचिव, अध्यक्ष जेसीटीएसएल जयपुर

4. मुख्य वित्तिय अधिकारी, जेसीटीएसएल, जयपुर।

5. मुख्य प्रबन्धक जेसीटीएसएल सांगानेर/टोडी/विधाधर नगर (ब) आगार जयपुर।

6. प्रबन्धक (वित्त) जेसीटीएसएल सांगानेर/टोडी/विधाधर नगर (ब) आगार जयपुर।

7. आई.टी. शास्त्रा जेसीटीएसएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वेब साइट पर भी उपलब्ध करावे।

विशेषाधिकारी
जेसीटीएसएल, जयपुर

**राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार
के निर्देश / अनुमोदन अनुसार देय यात्रा सुविधाओं का विवरण**

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | पत्रकार | 13. | युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने |
| 2. | विधार्थी | 14. | असंक्रामक कुष्ट रोगी |
| 3. | नेत्रहीन | 15. | थैलीसीमिया रोगी |
| 4. | नेत्रहीन का एक सहयोगी | 16. | थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी |
| 5. | विकलांग (अस्थि विकलांग) | 17. | राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाये कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु रकूल जानेव आने के लिये |
| 6. | कैन्सर रोगी | 18. | श्रवण बाधित |
| 7. | कैन्सर रोगी का एक सहयोगी | 19. | मनसिक विमन्दित |
| 8. | स्वतन्त्रता सैनानी | 20. | मनसिक विमन्दित का एक सहयोगी |
| 9. | स्वतन्त्रता सैनानी का एक सहयोगी | 21. | एड्स रोगी |
| 10. | स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएं | 22. | 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक |
| 11. | स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं का एक सहयोगी | 23. | महिलाएं के लिए |
| 12. | युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं का एक सहयोगी | | |